UPBS120003812021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 304/2021

रूपधारी बनाम सरकार उत्तर प्रदेश

28.07.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6ग2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि साबिक आराजी सं० 136 हाल आराजी सं० 273 प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र अ,ब,स,द के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10ग1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 11ग1, छायाप्रति शपथपत्र कागज सं० 12ग1, छायाप्रति फार्म सं० 4 कागज सं० 13ग1/1 लगायत 13ग1/2, दाखिल किया गया है। खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि आराजी सं० 273 नई परती के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी सरकार है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादी को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग२ दिनांक–12.08.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग2 विवादित भूमि का नक्शा एवं आख्या जरिए अदालत अमीन मंगवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद के निस्तारण में अमीन रिपोर्ट व नक्शा सहायक होगा। अतः प्रार्थनापत्र 8ग2 स्वीकार किया जाता है। अदालत अमीन को परवाना जारी हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।